

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 61] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 5, 1979/माघ 16, 1900

No. 61] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 5, 1979/MAGHA 16, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1979

का. आ. 68 (अ)/18 एफ. बी./आई डी आर ए/79 :— भारत सरकार के उद्योग
मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 68 (ई.)/18 एफ. बी./
आई डी आर ए/78, तारीख 6 फरवरी, 1978 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश
कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम,
1951 (1951 का 65) की धारा 18 थख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की
तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों,
व्यवस्थापत्रों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का (उनमें भिन्न, जो बैंकों
और विस्तीय संस्थाओं के प्रविष्ट भूत वारिसों से संबंधित हैं) जिनका मैसर्स एलकजैन्डा

जूट मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक एक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रवृत्त या उर्वृत्त होने वाली सभी अधिकार, विशेष अधिकार, बाध्यताएं और वायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे।

और केंद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 5 फरवरी, 1980 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की भाग 18 खख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, उक्त आदेश की अवधि 5 फरवरी, 1980 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा. सं. 3/8/77-सी. यू. सी.]

पी. सी. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 5th February, 1979

S.O. 68(E)/18FB/IDRA/79.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 68(E)/18FB/IDRA/78 dated the 6th February, 1978, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Alexandra Jute Mills Limited, Calcutta or the Company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or Company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period :

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year upto and inclusive of the 5th February 1980 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 5th February 1980.

[File No. 3/8/77-CUC]
P. C. NAYAK, Joint Secy.